

(59)

आयालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 19/14

दायरा दिनांक 27.05.2014

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

बउनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला-बारां (राज.)

- प्रार्थी

बनाम

सुक्खा पुत्र प्रभु जाति लुहार(काछी) निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज (मृतक)
इन्द्रजित पुत्र सुक्खा जाति काछी निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज

- अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. परौकार सरकार - प्रार्थी
2. अभिषेक बैरबा. सत्येन्द्र कुमार - अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 10.06.2025

प्रार्थी तहसीलदार किशनगंज ने रेफरेन्स केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनगंज तहसील किशनगंज की भूमि खसरा नं. 307 रकबा 43.08 बीघा किस्म खाल मुताबिक रिकॉर्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2016-2035 में खाता सरकार में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम किशनगंज की भूमि खसरा नं. 307 रकबा 5.00 बीघा सुक्खा पुत्र प्रभु जाति लुहार निवासी किशनगंज के हक में दिनांक 18.11.1977 को आवंटन/नियमन किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2063-66 में बहैसियत खातेदार सुक्खा पुत्र प्रभु जाति लुहार(काछी) निवासी किशनगंज के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावें। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सकें।

33


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के कायम मुकायमान वकिल एक ही बार दिनांक 11.03.2025 को उपस्थित हुये है। प्रकरण में पेरौकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान पेरौकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन आवंटन की गई। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। रेकॉर्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.08.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावें। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

हमने पेरौकार सरकार की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध रिर्कॉर्ड का भी अवलोकन किया अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम किशनगंज जिसके खसरा नं. 307 रकबा 5.00 बीघा है। जो किस्म खाल था वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म खाल का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही निरस्त योग्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिये है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम किशनगंज तहसील किशनगंज के खसरा नं. 307 रकबा 5.00 बीघा, भूमि किस्म खाल अप्रार्थी को नियमन/ आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंसा निबन्धक, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार किशनगंज को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से समर्पक स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करवाकर प्रकरण में पैरवी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारा)